Annexure 24 (188) (22)

# Bihar Administrative Service Association


**Shashank Shekhar Sinha**
**President**
Mob. No.-9334118192

**Sunil Kumar Tiwary**
**General Secretary**
Mob. No.- 9431085120

**Vice President**
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

**Joint Secretary**
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

**Treasurer**
Shashi Shekhar
9334557086


Memo No 25 Date 10-03-2023

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार।

विषयः– दिनांक–02.03.2023 को आहूत बैठक में अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा प्रस्तुत **Undertaking** के संबंध में।

प्रसंगः– भवदीय पत्रांक–276 दिनांक–28.02.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बैठक जो सी.डब्लूजे.सी. नं0– 1899/2023 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिऐशन बनाम राज्य सरकार में दिनांक 28.02.2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में महोदय द्वारा दोनों पक्षों को बुलाया गया, बैठक में अपर मुख्य सचिव, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार द्वारा एक Undertaking का प्रारूप (छाया प्रति संलग्न) हमलोगों को हस्ताक्षर हेतु हस्तगत किया गया जो नीचे उद्धृत है;

<u>Undertaking</u>

We, the office bearers of the Bihar Administrative Service Association do hereby solemnly affirm and state as under :-

1. We shall ensure that the working/Operations/meetings/assemblies of the association shall be conducted in keeping with Bihar government service conduct rules, 1976.
2. We shall ensure that all the resolutions passed by the association or any of its bodies shall be as per Bihar government servant conduct rules, 1976.
3. We shall ensure that the office bearers and members of the association shall strictly follow the provisions of Bihar government servant conduct rules, 1976.
4. We understand that the association is only a single entity registered in Patna therefore, there shall be no separate meetings of the Association at the district levels. If the officer bearers posted in the district wish to have the district level meeting then they should register themselves separately under the societies registration act.
5. We also understand that once the order of cancellation is withdrawn, we will convene a full body meeting of the association and pass amendments in bylaws as per above and submit it to IG for approval.

इस Undertaking के प्रथम दृष्टया अवलोकन से स्पष्ट है कि जो शर्तें निबंधन विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया गया है, वह न केवल भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि अगर इसे हस्ताक्षर किया जाता है तो किसी सेवा संघ के अस्तित्व का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

इस संबंध में भवदीय के अवलोकनार्थ एवं सुलभ संकेत हेतु राजनीति विभाग (सामान्य शाखा) की अधिसूचना संख्या–2079 दिनांक–20.07.1980 की छाया प्रति संलग्न है। जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त सेवा संघ को क्रियाशील रखने का प्रावधान है।

बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन आपके द्वारा विधिसम्ममत तरीके से आज की तिथि में प्रवृत लागू नियम के आलोक में तैयार कोई Undertaking पर हस्ताक्षर की सहमति देता है। आपके द्वारा दिए गए अन्य किसी भी विधिसम्मत निदेश का अनुपालन करने के लिए Undertaking बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन सहमत है।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव